



दिनांक 27.5.2026 को सुरक्षित,

दिनांक 08.6.2026 को प्रदत्त



2026:AHC:126167-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या - 459/2026

अजय तिवारी और अन्य

.....याचिकाकर्ताग

ण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: अदिति पांडे, रमेश कुमार तिवारी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

कक्ष में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार तिवारी, राज्य-प्रत्यार्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री जी.एन. कनौजिया को सुना और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है: -

i. बंदी प्रत्यक्षीकरण या किसी अन्य उपर्युक्त रिट के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता संख्या 1 को उनकी अवैध हिरासत से पेश करने और रिहा करने का निर्देश दिया जाए, और याचिकाकर्ता संख्या 1 की गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड को अवैध, शून्य और अमान्य घोषित किया जाए क्योंकि उन्होंने मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किया,

ii. दिनांक 19.04.2026 को मिर्जापुर जिला न्यायालय, मिर्जापुर के विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित रिमांड आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए,

iii. प्रत्यर्थी संख्या 1 को दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने और याचिकाकर्ता संख्या 1 को इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर मुआवजा देने का निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

iv. याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 को 17.4.2026 को सुबह 3:28 बजे जिगाना पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अवैध हिरासत के बाद, 17.04.2026 को सुबह 6:00 बजे जिगाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। 17.04.2026 को दोपहर 2:00 बजे मिर्जापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मीडिया के समक्ष उपस्थित हुए और बताया कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 अजय तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक थी। जिगाना पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर श्री संजय सिंह; कांस्टेबल सुनील राय और प्रकरण के जांच अधिकारी श्री अवधेश सिंह ने याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और उसके परिवार के सदस्यों से पैसे की मांग शुरू कर दी। सब-इंस्पेक्टर अवधेश सिंह ने याचिकाकर्ता नंबर 1 के पिता से जबरन 10,000 रुपये नकद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



और 50,000 रुपये का एक खाली चेक ले लिया। उक्त सब-इंस्पेक्टर ने याचिकाकर्ता नंबर 1 के पिता के बैंक खाते से दीपक सिंह के नाम पर चेक भुना लिया। तत्कालीन एस.एच.ओ. श्री संजय सिंह, कांस्टेबल सुनील राय के माध्यम से याचिकाकर्ता नंबर 1 के पिता से 3 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। एसएचओ श्री संजय सिंह के निर्देश पर जिगाना पुलिस स्टेशन के सभी सीसीटीवी कैमरे चार दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे। याचिकाकर्ता नंबर 1 के अधिवक्ता को जिगाना पुलिस स्टेशन से फोन कॉल और मैसेज मिल रहे थे, जिसमें कहा गया था कि रकम मिलने के बाद याचिकाकर्ता नंबर 1 को धारा 170 बीएनएसएस के तहत चालान करके रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ईमेल भेजकर संपर्क किया, जिसकी एक प्रति मिर्जापुर के पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई। पुलिस अधीक्षक के सीयूजी नंबर पर कई बार कॉल किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

5. 19.04.2026 को दोपहर 1:47 बजे याचिकाकर्ता संख्या 1 के बहनोई श्री मुकेश शुक्ला को 8542885122 नंबर से एक फोन आया और पुलिस ने उन्हें आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 अजय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, गिरफ्तारी मेमो में दिखाया गया है कि अजय तिवारी को 18.04.2026 को रात 11:45 बजे गिरफ्तार किया गया था। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, एफआईआर की एक प्रति 24 घंटे के भीतर अपलोड की जानी थी, लेकिन अब तक, यानी 21.04.2026 को सुबह 11:30 बजे तक, जिगाना पुलिस स्टेशन की संबंधित पुलिस ने वेबसाइट पर कोई एफआईआर अपलोड नहीं की है। जिगाना पुलिस स्टेशन के कैदियों द्वारा अपने कृत्यों को वैध ठहराने के लिए सभी सीसीटीवी कैमरों को निष्क्रिय कर दिया गया था। पुलिस ने याचिकाकर्ता संख्या 1 को 19.04.2026 को शाम 7:00 बजे माननीय रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने रिमांड का विरोध करते हुए दो आवेदन दाखिल किए और याचिकाकर्ता संख्या 1 की अवैध हिरासत सहित सभी प्रासंगिक तथ्यों को माननीय मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया गया। हालांकि, माननीय मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता संख्या 1 को न्यायिक हिरासत में भेजने का विकल्प चुना।

6. माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रतिवाद दाखिल करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को सह-आरोपी सहित 18.4.2026 को रात 11:45 बजे गिरफ्तार किया गया था और 19.4.2026 को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी 17.4.2026 को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुबह 3:28 बजे हुई थी, इस बात से इनकार किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों ने मृतक की छाती पर गोली मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रिट याचिका के अनुच्छेद 10 में आरोप है कि सब इंस्पेक्टर अवधेश सिंह ने 10,000 रुपये नकद लिए थे और याचिकाकर्ता नंबर 1 के पिता से 50,000 रुपये का एक खाली चेक लिया गया था, जिस पर दीपक सिंह का नाम लिखा था और इसे 17.4.2026 को ही भुना लिया गया था, लेकिन इसका स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया गया है।

7. याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर शपथ-पत्र में, उन्होंने याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता के बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया है, जिससे पता चलता है कि 17.4.2026 को दीपक सिंह के पक्ष में चेक के माध्यम से 50,000 रुपये का हस्तांतरण किया गया था।

8. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि रिट याचिका के अनुच्छेदों में लगाए गए आरोपों का अस्पष्ट रूप से खंडन किया गया है, और इस बात का कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या सब-इंस्पेक्टर अवधेश सिंह ने याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता से जबरन 10,000 रुपये नकद और 50,000 रुपये का एक खाली चेक लिया और उसे दीपक सिंह के नाम पर भुनाया। इस बात का भी कोई विशिष्ट खंडन नहीं है कि एसएचओ पुलिस स्टेशन जिगाना, कांस्टेबल सुनील राय के माध्यम से 3 लाख रुपये की मांग कर रहा था, और पुलिस स्टेशन जिगाना का सीसीटीवी कैमरा चार दिनों तक बंद रहा था। रिपोर्ट संख्या 112 से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 17.04.2026 को गिरफ्तार किया गया था और इस संबंध में सूचना उक्त संख्या पर दी गई थी। हालांकि, प्रति-शपथपत्र में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सह-आरोपी के साथ 18.04.2026 को रात 11:45 बजे गिरफ्तार किया गया था।

9. मृतक की छाती में गोली मारकर हत्या करने का आरोप है, लेकिन डॉक्टर द्वारा उसकी मृत्यु का कारण अनिश्चित पाया गया है।

10. हम पाते हैं कि प्रति-शपथ-पत्र में रिट याचिका में लगाए गए कथनों का अभिलेख पर लाए गए किसी भी सबूत के संदर्भ में स्पष्ट रूप से खंडन नहीं किया गया है। प्रत्यार्थियों द्वारा दायर प्रति-शपथ-पत्र में किए गए अस्पष्ट खंडन स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति के समान हैं।

11. यह स्थापित कानून है कि आरोपों/प्रतिवेदनों का टालमटोलपूर्ण खंडन/स्पष्ट खंडन का अभाव स्वीकारोक्ति के समान है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. उपर्युक्त के मद्देनजर, उपर्युक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता संख्या 1 की गिरफ्तारी अवैध मानी जाती है। उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए।

13. हालांकि, प्रत्यार्थियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार नए सिरे से कार्यवाही करने की छूट होगी।

8 जून, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।